उ. प्र. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना

UPHSSP
Excellence in health care...

प्रशिक्षण ब्लाक – 2, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान
ब्लाक–सी, इन्दिरा नगर, लखनऊ – 226 016 (उ.प्र.)
फोन / फैक्स : + 91–522–2354318 / 2340538,
ई–मेल : pd.uphssp@gmail.com/apd.uphssp@gmail.com

पत्रांकः 2410 / यूपीएचएसएसपी / पीएसयू / 639 / 2016–17 दिनांकः 16 / 12 / 2016

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना कार्यालय आदेश संख्या 1915 / यूपीएचएसएसपी / पीएसयू / 639 / 2016–17 दिनांक 13.10.2016 द्वारा मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, चण्डीगढ़ के अनुबंध संख्या 21/UPHSSP/C-Arm/16-17 दिनांक 12.07.2016 को निरस्त करते हुए फर्म द्वारा अनुबंध के समय जमा की गई परफारमेंस बैंक गारंटी धनराशि रु0 11,77,000 / – को जब्त करते हुए भविष्य में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु डिबार किया किया गया था।

मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 24.11.2016 को प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन के क्रम में अध्यक्ष, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 15.12.2016 को सम्पन्न हुई बैठक में निम्नवत विचारोपरान्त संस्तुति दी गई:

समिति द्वारा मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम लिमिटेड द्वारा दिनांक 24.11.2016 द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन, जो उनके Procurement of OT Equipment bearing bid reference no. UPHSSP/EQUIP/2015-16/07 for C-Arm Machine Qty-14 की आपूर्ति की प्रक्रिया के दौरान परियोजना द्वारा उनको निविदा में झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत करने के कारण हुए डिबारमेंट पर पुर्नविचार एवं शिथिलता किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। सघन विचार विमर्श के उपरान्त समिति इस निर्णय पर पहुँची कि परियोजना द्वारा दिनांक 13.10.2016 को डिबारमेंट हेतु जो कार्यालय आदेश निर्गत किया गया है, निम्नवत है:

उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना द्वारा जारी की गई निविदा Procurement of OT Equipment (Ref No: UPHSSP/EQUIP/2015-16/07) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपकरण सी–आर्म के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी (निविदा प्राप्ति की तिथि 14.03.2016)। इस निविदा में फर्म मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, एस0सी0ओ0 212–213–214, सेक्टर 34ए, चन्डीगढ़ द्वारा भी अपनी निविदा प्रस्तुत की गई।

निविदा प्रपत्र के SECTION II - BIDDING DATA SHEET की शर्त संख्या ITB 11.1(k) के अनुसार निविदादाता फर्मों को BLACKLISTING AFFIDAVIT FORM जो फर्मों के barred or blacklisted by the Government of Uttar Pradesh, any other State Government or Government of India from participating in any project से संबंधित है, को एक रु0 100 / – के नान–ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, एस0सी0ओ0 212–213–214, सेक्टर 34ए, चन्डीगढ़ द्वारा सी–आर्म की निविदा के साथ प्रस्तुत किये BLACKLISTING AFFIDAVIT FORM में निम्नवत घोषणा / शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया:

That neither our Company M/s Allengers Medical Systems Ltd. nor any of its directors have been debarred/blacklisted by Government of Uttar Pradesh, or any other State Government or Government of India for any work in the past 3 years.

उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना को ज्ञात हुआ है कि Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai द्वारा पत्र संख्या DHS/PC/File no 586/E-296/Participation in tender/361/T-2/2014 दिनांक 17.12.2014 द्वारा मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड़ को Directorate of Health Services (Maharashtra State) की निविदाओं में भाग लेने से एक वर्ष की अवधि के लिए रोका गया है तथा इसके साथ ही राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर ने अपने पत्रांक F-8() RMSC/EPM/16/3233 दिनांक 27.07.2016 द्वारा फर्म मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से एक वर्ष की अवधि के लिए डिबार किया गया है।

मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा सी–आर्म की निविदा में प्रस्तुत किये गये झूठे शपथ–पत्र, Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा फर्म को डिबार किये गये प्रकरण में दिनांक 22.09.2016 को उपार्जन समिति द्वारा किये गये संस्तुतियों के क्रम में अध्यक्ष, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन ने दिनांक 05.10.2016 को मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, चन्डीगढ़ के साथ हस्ताक्षरित किये गये अनुबंध संख्या 21/UPHSSP/C-Arm/16-17 दिनांक 12.07.2016 को निरस्त करते हुए फर्म द्वारा अनुबंध के समय जमा किये गये परफारमेंस बैंक गारंटी धनराशि रु0 11,77,000/– को जब्त किये जाने के साथ ही साथ भविष्य में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु डिबार किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः अध्यक्ष, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में फर्म मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, चन्डीगढ़ के साथ हुए अनुबंध संख्या 21/UPHSSP/C-Arm/16-17 दिनांक 12.07.2016 को निरस्त करते हुए फर्म द्वारा अनुबंध के समय जमा किये गये परफारमेंस बैंक गारंटी धनराशि रु0 11,77,000/– को जब्त करते हुए भविष्य में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु डिबार किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के क्रम में अपीलार्थी फर्म मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फर्म ने निविदा को भरते समय त्रुटिवश Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai द्वारा दिये गये निर्णय को छुपाया क्योकि जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि यह prevention था debarment नहीं।

समिति ने यह भी पाया कि Directorate of Health Services (Maharashtra State), Mumbai एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा जो भी निर्णय फर्म के विरुद्ध लिये गये वो तकनीकी गलतियों को छुपाने के कारण है, न की उपकरणों की गुणवत्ता के कारण। समिति द्वारा यह पाया गया कि परियोजना द्वारा डिबारमेंट हेतु लिया गया निर्णय सही है। परियोजना की निविदा प्रक्रिया/अभिलेखों के अवलोकन से भी यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि फर्म द्वारा निविदा भरते समय शपथ–पत्र में तथ्यों को छुपाया गया, परन्तु इनके उपकरण तृतीय पक्ष मूल्यांकन में पूर्णतया उपयुक्त पाये गये। अतः समिति द्वारा अपीलार्थी द्वारा त्रुटि स्वीकार किये जाने और त्रुटि का कारण आदेश का अभिप्राय न समझ पाने एवं प्रतिबंध के आदेश के दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी फर्म मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड पर परियोजना के आदेश दिनांक 13.10.2016 द्वारा किये गये डिबारमेंट की प्रभाविता की अवधि, जो कि आदेश में नहीं दर्शायी गयी है, को इस समिति द्वारा लिये गये निर्णय के दिनांक 15.12.2016 तक सीमित किये जाने के साथ मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड की अपील को अंतिम रुप से निस्तारित किये जाने की संस्तुति की गई।

समिति के उपरोक्त संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 15.12.2016 को **मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, चण्डीगढ़ के डिबारमेंट की अवधि दिनांक 15.12.2016 तक सीमित** किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तद्क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 1915/यूपीएचएसएसपी/पीएसयू/639/2016–17 दिनांक 13.10.2016 द्वारा फर्म मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, चन्डीगढ़ के साथ हुए अनुबंध संख्या 21/UPHSSP/C-Arm/16-17 दिनांक 12.07.2016 को निरस्त करते हुए फर्म द्वारा अनुबंध के समय जमा किये गये परफारमेंस बैंक गारंटी धनराशि रु0 11,77,000/– को जब्त किये जाने का निर्णय यथावत प्रभावी रखते हुए एतद्द्वारा मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, चण्डीगढ़ के डिबारमेंट की अवधि दिनांक 15.12.2016 तक सीमित की जाती है।

(वी हेकाली झिमोमी)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन को महोदय के सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, यूपीएचएसएसपी, लखनऊ।
4. निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ।
5. मेसर्स एक्सेन्चर, उपार्जन अभिकर्ता, कैम्प कार्यालय, लखनऊ।
6. मेसर्स एलेन्जर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड, एस0सी0ओ0 212–213–214, सेक्टर 34ए, चन्डीगढ़
7. गार्ड फाइल।

16/12

(वी हेकाली झिमोमी)
परियोजना निदेशक